

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रमात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./28/2020

1. हरलाल पुत्र श्री छीतर जाति बैरवा निवासी अर्जुनपुरा तहसील भिनाय अजमेर

बनाम

1. रामलाल पुत्र हुक्मा जाति बैरवा निवासी अर्जुनपुरा तहसील भिनाय अजमेर
2. कानाराम पुत्र धूला जाति बैरवा निवासी अर्जुनपुरा तहसील भिनाय अजमेर
3. देबीलाल पुत्र धूला जाति बैरवा निवासी अर्जुनपुरा तहसील भिनाय अजमेर
4. भंवरलाल पुत्र अल्लादीन जाति तेली मुसलमान निवासी अर्जुनपुरा तहसील भिनाय अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- धर्मवीर बामणियां

2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा अर्जुनपुरा पटवार क्षेत्र पड़ांगा मू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 134 में दर्ज खसरा नं. 740/660 रकबा 1.13 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.13 है0 है, जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 प्रार्थी की कब्जे काशत भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 5 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 1 लगा0 4 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा अर्जुनपुरा पटवार क्षेत्र पड़ांगा मू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 134 में दर्ज खसरा नं. 740/660 रकबा 1.13 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.13 है0 प्रार्थी की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक सिंगावल को 1000/- (एक हजार रुपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ोसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज